



जालौन पुलिस

दिनांक -14.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान० न्यायालय द्वारा 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्त दूर्गा प्रसाद कुशवाहा पुत्र प्रभुदयाल कुशवाहा नि० नयी बस्ती कस्बा व थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर आमजनमानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु भय व दहशत फैलाने के सम्बन्ध में थाना आटा में मु०अ०सं० 135/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 14.10.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा **अभियुक्त दूर्गा प्रसाद उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**